न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 94 / 2022 निर्णय दिनांक :–21.07.2023

उनवानी दावा :

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक

–प्रार्थी–

बनाम

1. कौशल्या देवी पत्नी महावीर बैरवा निवासी नासिरदा देवली
2. प्रभुलाल पुत्र चतुर्भुज कुमावत निवासी देवली
3. हंसा देवी पत्नी बनवारी बैरवा नासिरदा देवली

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–
पेरोकार सरकार

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी राज्य सरकार का प्रतिनिधी एवं लेण्ड होल्डर (भूमि धारक) होने से वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1986 / 79 रकबा 0.14 है0, ख. नं. 1988 / 1916 रकबा 0.16 है0 कुल 0.30 है0 ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है जिसके अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर केवल कृषि उपज एवं कृषि कार्य के लिए अधिकृत है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को कृषि प्रयोजनार्थ के अलावा अन्य व्यवसायिक औद्योगिक एवं अन्य कार्य प्रयोजनार्थ कार्य में लेने के लिए अधिकृत नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त राजस्व खातेदारी आराजियत को कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं कर अवैध प्लाटिंग कार्य कर व्यवसायिक कार्य लाभ के लिए उक्त आरजियात में 0.30 है0 में पक्का निर्माणाधीन कार्य किया जा रहा है जिसमें अप्रार्थीगण उक्त आराजी का प्रयोग कृषि प्रयोजनार्थ नहीं करके व्यवसायिक प्रयोग कर रहे है। जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग कर सकते है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियत को कृषि कार्य की बजाय व्यवसायिक उपयोग लेने से राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 177 के तहत नियम व शर्तों के अनुबंध का उल्लंघन किया है। इस कारण अप्रार्थीगण के उक्त आराजियात में खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। भू. अभि. नि. मालेड़ा से उक्त आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर भू. अभि. नि. मालेड़ा की मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण के उक्त आराजियत पर प्लाटिंग यह वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय

न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बाद वर्णित आराजियत ग्राम रामथला पटवार मण्डल मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थी का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्ड होल्डर होने से वादपत्र नियमानुसार बिना कोर्ट फीस के अन्दर मियाद पेश है। (अ) यह है कि वाद बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण का इस आशय की डिकी फरमाया जायें आराजी खसरा नम्बर 1986/79 रकबा 0.14 है0. ख.न. 1988/1916 रकबा 0.16 है0 कुल रकबा 0.30 है0 जो कि वाके ग्राम रामथला पटवार मण्डल मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है में से खसरा नम्बर 1986/79 रकबा 0.14 है0, ख.न. 1988/1916 रकबा 0.16 है0 कुल 0.30 है0 भूमि का खातेदारी का अधिकार समाप्त किया जायें एवं भूमि को सिवायचक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक इन्द्राज किया जायें। (ब) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें एवं अन्य दाररसी जो उचित हो अप्रार्थीगण से दिलवाया जायें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री बाबूलाल मीणा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है । प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। चरण नं. 2 में लिखी गई ईबारत खातेदार काश्तकार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में कृषि कार्य के अलावा अकृषि कार्य गलत एवं अस्वीकार है। खातेदार काश्तकार खातेदारी की भूमि के कुछ हिस्से पर अपने जानवर बान्धने एवं फसल सुरक्षा हेतु स्वयं के लिए आंशिक निर्माण कार्य निर्मित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 में लिखी गई ईबारत गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में आज भी कहीं भी रकबा 0.30 है0 में खातेदार काश्तकार द्वारा कोई पक्का निर्माण निर्मित नहीं किया गया है एवं ना ही कोई पक्का निर्माण मौके पर हो रखा है। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक उक्त वर्णित आराजीयात को किसी भी रूप से व्यवसायिक एवं औद्योगिक कार्य के उपयोग में नहीं ली जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी ज्वार की फसल काश्त की थी जो अतिवृष्टि से नष्ट हो गई है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात को काश्त कार्य में उपयोग में लेंगे। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 में लिखी गई ईबारत गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 में लिखी गई ईबारत स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 में लिखी गई ईबारत कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। चरण नं. अ व ब में लिखी गई ईबारत गलत एवं अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 177 काश्तकारी अधिनियम को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार देवली से वर्तमान मोका रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र संख्या 94/2022 उनवान तहसीलदार देवली बनाम कौशल्या के ख. नं. 1986/79 रकबा 0.14 है0 व 1988/1916 रकबा 0.16 है0 भूमि की मौका रिपोर्ट चाही गयी थी जिस क्रम में भू. अभि. निरीक्षक मालेड़ा व पटवारी हल्का मालेड़ा से रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट के ग्राम रामथला पहुंचकर आराजी खसरा नम्बर 1986/79 रकबा

0. 14 है0 किस्म बारानी 3 का मौका देखा। मौके पर उक्त दोनों खसरा नम्बरान में जोत की हुई है। आंशिक भाग में पानी व कीचड़ है जिसमें घास खड़ी हुई है एवं कई कई जगह पर बिलायती बबूल खडे है। वर्तमान में मौके पर उपरोक्त किता 02 रकबा 0.30 है0 कृषि भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग नहीं लिया जा रहा है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

वादी की ओर से पेरोकार सरकार ने बहस में वाद/प्रा. पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में विवादित आराजी पर कोई अकृषि कार्य नही हो रहा है परन्तु जब प्रार्थना पत्र पेश किया तब प्रतीत हुआ था कि इस आराजी पर प्लांटिग करेगे। इसलिए प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया है ।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार द्वारा पेश की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन है कि अप्रार्थीगण की विवादित आराजी पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र/वाद खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली द्वारा पेश वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1986/79 रकबा 0.14 है0 व ख. नं. 1988/1916 रकबा 0.16 है0 पर कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायाहित व कृषक हित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 की परिधी के अन्तर्गत नहीं आने से तहसीलदार देवली द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली